यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

. 43 / 2020

उनवान

नानूराम पुत्र बिरदीचन्द

. मदन पुत्र बिरदीचन्द

समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

---प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।
2. कैलाशचन्द पुत्र भैरू
3. नाथूराम पुत्र भैरू

   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. ओमकार पुत्र गणेश
5. कालूराम पुत्र गणेश
6. गजानन्द पुत्र गणेश
7. मुकेश पुत्र गणेश

   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. भूरी पत्नी नरसा, जाति जाट, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. कमली पुत्री हेमला
10. कालूराम पुत्र हेमला
11. नान्छूराम पुत्र हेमला
12. नाना पुत्री हेमला
13. मंगली पुत्री हेमला
14. महादेव पुत्र हेमला
15. रमेश पुत्र हेमला
16. सुण्डाराम पुत्र हेमला
17. कालूराम पुत्र बिरदा

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम अनन्तपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

---अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:47:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक–13.09.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम अनन्तपुरा, पटवार हल्का अनन्तपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 2431 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2430/2 रकबा 0.58 हैक्टेयर कुल किता का कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर स्थित है। जो सम्पूर्ण ही प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमियों पर प्रार्थीगण काबिज काश्त काश्त होकर उपयोग उपयोग करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी कर रहे है।

वाके ग्राम अनन्तपुरा, पटवार हल्का अनन्तपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2446, 2447, 2434, 2432, 2221, 2222, 2223, 2430/1 स्थित है। उक्त भूमियां अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 17 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में है तथा उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 17 की भूमि स्थित है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 17 प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2016 को श्रीमान तहसीलदार साहब चौमूं के आदेश क्रमांक भू.अ./14/153 दिनांक 29.06.2014 एवं क्रमांक भू.अ./16/2236 दिनांक 08.06.2016 की पालना में ग्राम अनन्तपुरा के आराजी खसरा नम्बर 2430/1, 2430/2, 2431, 2220/1, 2210, 2217/1, 2217/2, 2195/1, 2195/2, 2183 मौके पर पहुंचा। मय रिकॉर्ड राजस्व के सीमाज्ञान करने के लिए उपलब्ध नक्शाशीट एवं जरीब से सीमाज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आराजी खसरा नम्बर 2224 गै.मु. चाह से दक्षिण दिशा के संलग्न खसरा नम्बर 2430/1 के उत्तरी पश्चिमी कोना कायम किया गया जिसको खसरा नम्बर 2424 गै.मु. चाहसे जरीब चलाकर जांच की जो सही पाया गया। इस बिन्दू से पूर्व दिशा में चलकर खसरा नम्बर 2431 का उत्तरी पूर्वी कोना कायम किया गया जिसको खसरा नम्बर 2194 गै.मु. चाह से पश्चिम दिशा में चलाकर टकराया गया। नक्शा एवं मौका सही पाया गया। खसरा नम्बर 2194 के उत्तर दिशा में चलकर खसरा नम्बर 2195/1 का दक्षिणी पश्चिमी कोना तथा खसरा नम्बर 2198 का दक्षिण पूर्वी कोना कायम किया गया। खसरा नम्बर 2205/2651 गै.मु. चाह से जरीब चलाकर जांच की सही पाया गया। इस प्रकार सीमाज्ञान की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई। फर्द मौका तैयार कर हस्ताक्षर करवाये गये। जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायंहित में आवश्यक है, किन्तु अप्रार्थीगण [illegible] 17 प्रार्थीगण को उनके कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं [illegible] रहे है तथा उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पडौसी काश्तकार व्यक्ति है, [illegible] की उक्त आराजीयात् से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है तथा अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सींव डोल में तोड–फोड करते रहते है तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवारा पशुओं को प्रवेश करवाकर फसल को नुकसान कारित करते रहते है, जिस कारण प्रार्थीगण अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:47:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सीमा की आवारा पशुओं से सुरक्षार्थ तारबन्दी करना चाहते है जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी प्रकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थीगण अपने कब्जेशुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी वाके ग्राम अनन्तपुरा, पटवार हल्का अनन्तपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 2431 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2430/2 रकबा 0.58 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर की पत्थरगढी करने के अप्रार्थी संख्या 1 को आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद तलबी अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 27.06.2016 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2016 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **13.09.2021** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:47:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner